जनपद सोनभद्र पुलिस

प्रेस नोट

दिनांक–30.05.2026

सोनभद्र पुलिस के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा हत्या के प्रकरण में दोषी पाये गये आरोपी को दी गई आजीवन कारावास की सजा-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन, श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर के कुशल पर्यवेक्षण व पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के नेतृत्व में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे **‘#Operation Conviction’** अभियान के क्रम में सोनभद्र पुलिस को एक अहम सफलता प्राप्त हुई है । प्रभावी पैरवी एवं सशक्त पुलिस-न्याय प्रणाली के समन्वय से हत्या के दण्डनीय अपराध में आरोपी को **माननीय न्यायालय ASJ FTC 14th FC** सोनभद्र द्वारा **आजीवन कारावास** से दण्डित किया गया है।

प्रकरण का विवरण:

थाना: जुगैल, जनपद सोनभद्र

मु0अ0सं0:- 03/2018

धारा:- 302 भादवि

अभियुक्त:- संत कुमार गौड़ पुत्र स्व0 कन्हई गौड़ निवासी बड़गांवा टोला बरवाडीह थाना जुगैल जनपद सोनभद्र।

मा0 न्यायालय द्वारा पारित सजा का विवरण:-

अभियुक्त को **धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जेल में बितायी गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।

सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका:-

इस केस में थाना जुगैल पुलिस, कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन पक्ष एवं जनपद मॉनिटरिंग सेल की संगठित व सतत प्रयासों से न्यायालय में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिससे अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया।